न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 64/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री प्रभाती लाल खण्डेलवाल उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री मोती लाल खण्डेलवाल मैसर्स खण्डेलवाल ऑयल मील, गढ रोड, मण्डावर, जिला दौसा। विक्रेता मालिक
2. श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल निवासी कटरा, नदबई, जिला भरतपुर भागीदार मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मील्स, देहरा रोड, पो0 नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान (फौत)।
3. श्री अनुपम अग्रवाल निवासी कटरा, नदबई, जिला भरतपुर भागीदार मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मील्स, देहरा रोड, पो0 नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान।
4. श्री देवरत अग्रवाल निवासी कटरा, नदबई, जिला भरतपुर भागीदार मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मील्स, देहरा रोड, पो0 नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान।
5. श्रीमति नीता अग्रवाल निवासी कटरा, नदबई, जिला भरतपुर भागीदार मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मील्स, देहरा रोड, पो0 नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान।
6. श्री भरत अग्रवाल निवासी कटरा, नदबई, जिला भरतपुर भागीदार मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मील्स, देहरा रोड, पो0 नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान।
7. मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मील्स, देहरा रोड, पो0 नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

— अभियुक्तगण—

जूर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 स्वयं उपस्थित।
: श्री अनुपम अग्रवाल प्रतिनिधि अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 लगायत 7 उपस्थित।

—: आदेश :—

दिनांक 4.7.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 17.1.2017 को दोपहर बाद 02:15 बजे मैसर्स खण्डेलवाल ऑयल मील, गढ रोड, मंण्डावर, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विकेता श्री प्रभाती लाल खण्डेलवाल पुत्र श्री मोतीलाल खण्डेलवाल विक्रेता मालिक का होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ का रजिस्ट्रेशन न होना जाहिर किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 8 जार X 5 लीटर पैकिंग में पैक सरसो तेल (टैंक) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर इनमें से 1 जार से 1600 ग्राम सरसो तेल (टैंक) नमूने की जांच हेतु ख़रीदा। जिनकी कीमत 160 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि खरीदशुदा सरसो तेल (टैंक) को चार साफ सूखी खाली बोतलों में बराबर-बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफबीओ के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बोतलों पर चिपकाकर बोतलो को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी-1560 गोंद से उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार-चार जगह से उपर-नीचे दोनो साइडो में चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफ.बी.ओ. (विकेता) श्री प्रभाती लाल के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री जयसिंह यादव एफएसओ मुख्यालय द्वारा दिनांक 18.1.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.1.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.1.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (टैंक) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./71/एक्ट/2017/136 दिनांक 2.2.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (टैंक) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी केवल क्रेता है प्रार्थी ने दिनांक 27.12.2016 को मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मिल नदबई से दुकान में बिक्री हेतु बिल नं0 4232 दिनांक 12.12.2016 को टैंक ब्राण्ड एगमार्क तेल की 5 लीटर की केन खरीदी है। तेल के निर्माता, विक्रेता, मैसर्स पी.बी. इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मिल नदबई है। प्रतिनिधि अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 लगायत 7 द्वारा निवेदन किया गया कि हमारे यहां से पूर्व

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

में लिये गये सैम्पल मानक स्तर के पाये गये है। हमारा जो नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया उसमे **Saponification value** एवं **Bellier Test** में मामूली अन्तर पाया गया है। हमारे स्तर पर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। रिपोर्ट में जो अन्तर आया वह सरसो सीड (कच्चा माल) की वजह से भी आ सकता है। अप्रार्थी सं0 3 से 7 तक की जुर्माने की जिम्मेदारी अनुपम की होगी एवं अप्रार्थी सं0 2 का स्वर्गवास हो गया है। अतः मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये कम से कम जुर्माना करने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./71/एक्ट/2017/136 दिनांक 2.2.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (टैंक) सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 3 लगायत 7 द्वारा खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ सरसो तेल (टैंक) सबस्टैंडर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 3 लगायत 7 पर 25,000/-(अक्षरे पच्चीस हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 4.7.2018 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 10083A

दिनांकः- 6.7..2018

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री प्रभाती लाल खण्डेलवाल उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री मोती लाल खण्डेलवाल मैसर्स खण्डेलवाल ऑयल मील, गढ रोड, मण्डावर, जिला दौसा। विक्रेता मालिक
4. श्री अनुपम अग्रवाल निवासी कटरा, नदबई, जिला भरतपुर भागीदार मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मील्स, देहरा रोड, पो0 नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान।
5. श्री देवरत अग्रवाल निवासी कटरा, नदबई, जिला भरतपुर भागीदार मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मील्स, देहरा रोड, पो0 नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान।
6. श्रीमति नीता अग्रवाल निवासी कटरा, नदबई, जिला भरतपुर भागीदार मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मील्स, देहरा रोड, पो0 नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान।
7. श्री भरत अग्रवाल निवासी कटरा, नदबई, जिला भरतपुर भागीदार मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मील्स, देहरा रोड, पो0 नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान।
   मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मील्स, देहरा रोड, पो0 नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान।
8. मैसर्स पीबी इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मील्स, देहरा रोड, पो0 नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा